# झारखण्ड विधान सभा

## ध्यानाकर्षण सूचना

**पंचम् झारखण्ड विधान-सभा**

**सप्तदश (मॉनसून) सत्र**

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 02.08.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

| क्र0सं | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 01. | 02. | 03. | 04. |
| 01- | **श्री मथुरा प्रसाद महतो, स0वि0स0** | झारखण्ड राज्य में जल संसाधन एवं पथ निर्माण विभाग के कनीय अभियंता से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतनवृद्धि प्रदान करने के बिन्दू पर वित्त विभाग द्वारा विभागीय मन्तव्य की अपेक्षा की गई है।<br>PWD कोड के अनुसार Para- 55 Appendix-D भाग-1 नियम-3 के अनुसार कनीय अभियंता से सहायक अभियंता में प्रोन्नत सहायक अभियंताओं का वार्षिक वेतनवृद्धि दी जा सकती है। यदि दो वर्षो के बाद भी यदि नव प्रोन्नत सहायक अभियंता विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते है, तो वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी।<br>अतः कनीय अभियंता से प्रोन्नत सहायक अभियंताओं को वेतनवृद्धि इस पारा के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ। | **पर्यटन, कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य** |

| 01. | 02. | 03. | 04. |
|---|---|---|---|
| 02- | श्री रामचन्द्र सिंह<br>स0वि0स0<br>श्री सोनाराम सिंकू<br>स0वि0स0 | धनबाद जिला अन्तर्गत तोपचांची प्रखण्ड में अवस्थित तोपचांची झील धनबाद जिला के धरोहर के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा पर्यटक स्थल का भी दर्जा प्राप्त है, जिसमें हजारों की संख्या में राज्य एवं राज्य से बाहर के पर्यटक पिकनिक एवं प्राकृतिक वादियों का आनन्द लेने के लिए आते है। वर्त्तमान में झील परिसर में अवस्थित जलश्रोत नाला, पुल-पुलिया, पथों, ग्रीन पार्क, शौचालय आदि कई आवश्यक स्थलों की स्थिति अति-जर्जर है जिससे पर्यटकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।<br>अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ कि तोपचांची झील परिसर अवस्थित सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त पुल-पुलिया, पथो, ग्रीन पार्क एवं शौचालयों सहित यात्रियों की सुविधा हेतु सम्पूर्ण संसाधनों का जीर्णोद्धार की कार्रवाई ली जाय। | वित्त |

रॉंची,
दिनांक- 02 अगस्त, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-30/2024-3544/वि0 स0, राँची, दिनांक- 01/08/24

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग एवं सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.08.24
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-30/2024-3544/वि0 स0, राँची, दिनांक- 01/08/24

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

01.08.24
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

01/08/24